भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2775

12/08/2026 को उत्तर के लिए

पारंपरिक मत्स्यन अधिकारों और जीविका की रक्षा

2775. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पारंपरिक मत्स्यन क्षेत्रों तथा पारंपरिक मत्स्यन अधिकारों हेतु सांविधिक संरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी), सागरमाला अथवा तटीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व पारंपरिक मत्स्यन समुदायों से परामर्श किया जाता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारंपरिक मछुआरों की आजीविका तथा समुद्री पहुंच पर नील अर्थव्यवस्था तथा तटीय विकास के प्रभाव का आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो यह कब तक
किया जाएगा;

(घ) क्या सतत तटीय प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित मात्स्यिकी प्रशासन मॉडल की जांच की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तट के निकट तथा प्रादेशिक समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों को औद्योगिक अतिक्रमण से संरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या तटीय जलक्षेत्रों में लघु-स्तरीय मछुआरों हेतु सह-स्वामित्व अधिकार पर विचार किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक मात्स्यिकी तटीय राज्यों द्वारा उनके समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों (MFRAs) के अनुसार विनियमित होता है। संबंधित MFRAs के तहत, कई तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मत्स्यन जहाजों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट मत्स्यन क्षेत्र आरक्षित किए हैं। तट के निकटवर्ती जलक्षेत्र, जो आमतौर पर तट से 5 से 10 किलोमीटर तक होते हैं, विशेष रूप से पारंपरिक और गैर-यंत्रीकृत पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं के लिए आरक्षित हैं, जो पारंपरिक आजीविका की रक्षा करते हैं, गियर के टकराव को कम करते हैं और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकते हैं। पारंपरिक मछुआरों के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्रों में यंत्रीकृत जहाजों की अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल (ICG) सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य मत्स्यपालन विभागों द्वारा संयुक्त गश्त की जाती है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, यंत्रीकृत और मोटर चालित जहाजों पर उपग्रह-आधारित ट्रांसपोंडर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे जियोफेंसिंग के साथ जहाजों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव होती है और पारंपरिक मछुआरों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में घुसपैठ होने पर अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट प्राप्त हो जाते हैं।

(ख) से (च): ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा में मत्स्य पालन सहित कई उप-क्षेत्र शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने का काम संभाल रहा है। सागरमाला, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य देश में बंदरगाह-आधारित

विकास को बढ़ावा देना है। परियोजना विकास के हिस्से के रूप में, संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को समुदाय और पर्यावरण पर प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही, परियोजना प्रस्तावक को आधारभूत स्थितियों के अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन और परियोजना की समीक्षा के दौरान सामने आने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार और कार्यान्वित करनी होती है। इसके अलावा, सागरमाला योजना के तटीय समुदाय विकास स्तंभ के तहत चिन्हित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार के कार्य भी किए जाते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) नोडल मंत्रालय होने के नाते समय-समय पर जारी तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर तट के किनारे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए CRZ अधिसूचना की समीक्षा करता है, जिसमें मछुआरा समुदाय की चिंताएं भी शामिल होती हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सतत उपयोग और छोटे पैमाने के तथा पारंपरिक मछुआरों के कल्याण के लिए व्यापक उपाय किए हैं। सरकार ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो प्रमुख संरक्षण उपायों को अनिवार्य बनाता है, जिसमें मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण, मत्स्य प्रजनन के मौसम के दौरान एकसमान मत्स्यन पर प्रतिबंध; मत्स्यन के लिए न्यूनतम कानूनी आकार और अनपेक्षित पकड़ को कम करने के उपायों को अपनाना, विनाशकारी और जुवेनाइल मत्स्यन की प्रथाओं पर रोक, तथा पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

सतत मात्स्यिकी सुनिश्चित करने, मत्स्य स्टॉक को बढ़ाने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए, मत्स्य मुख्य प्रजनन काल के दौरान भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रतिवर्ष एकसमान 61 दिनों का मत्स्यन प्रतिबंध लगाया जाता है। तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकसमान प्रतिबंध के साथ अपनी समय-सारणी का मिलान करते हुए अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर संबंधित प्रतिबंध लागू करते हैं। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की जाती है। PMMSY सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षा भी प्रदान करती है, जिससे मत्स्यन संचालन के दौरान सामाजिक सुरक्षा और जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, भारत सरकार ने पहली बार देश की तटरेखा के साथ सी रेंचिंग और आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना के लिए समर्पित सहायता का विस्तार किया है। ये पहल हैबिटेट के क्षरण को रोकने, मत्स्य स्टॉक को बढ़ाने और तटीय मछुआरों की आजीविका को मजबूत करने में मदद करते हैं। तटीय जल में मत्स्यन दबाव को कम करने और सतत तरीके से समुद्री मात्स्यिकी उत्पादन को बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल कृषि और खुले समुद्र में केज कल्चर सहित मैरीकल्चर जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। PMMSY में "जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (CRCFV) के रूप में 100 तटीय मछुआरा गांवों का विकास" घटक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से चुने गए 100 गांवों को अवसंरचना और आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियों सहित आवश्यकता-आधारित पहलों के माध्यम से आर्थिक रूप से जीवंत और जलवायु-अनुकूल गांवों में बदलना है।
